न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/2014/91

1. हफीज खां पुत्र श्री जुम्मरदीन खां, उम्र–70 वर्ष, जाति–मुसलमान
2. मुंशी खां पुत्र श्री जुम्मरदीन खां, उम्र–46 वर्ष, जाति–मुसलमान

निवासीगण–बिसायती वाली ढाणी, वार्ड नं.–49, ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

– वादीगण –

बनाम

1. अल्लानूर खां पुत्र. नामालूम
2. फैय्याज खां पुत्र अल्लानूर
3. रईस मोलाना पुत्र अल्लानूर
4. हनीश खां पुत्र अल्लानूर
5. मुनीर खां पुत्र अल्लानूर
6. पप्पन खां पुत्र अल्लानूर

समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण–बंध्या वाली ढाणी, कॉलेज के पास, ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

7. तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय – **दिनांकः 22.11.2019**

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण की कृषि भूमि ग्राम खो नागोरियान, पटवार हल्का खो नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर स्थित है, जिसके खसरा नंबर 2476/4587 रकबा 0.04 हैक्टेयर जाब व चाही, खसरा नंबर 2478 रकबा 0.03 हैक्टेयर जाब व चाही, खसरा नंबर 2487 रकबा 0.13 हैक्टेयर चाही, खसरा नंबर 2489 रकबा 0.12 हैक्टेयर चाही, खसरा नंबर 2494/4588 रकबा 0.02 हैक्टेयर चाही, खसरा नंबर 2607 रकबा 0.02 हैक्टेयर जाब, खसरा नंबर 2608 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल खसरा 07 का कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर की भूमि पूर्व में वादीगण के पिता श्री जुम्मरदीन खां पुत्र श्री

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

इनायत खां के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2051–2054 तथा सम्वत् 2063–2066 दर्ज अमल चली आ रही थी। तत्पश्चात जुम्मरदीन खॉ का निधन हो गया तथा उसका विरासत का नामान्तकरण उसके विधिक वारिसान हफीज खां व मुंशी खां तथा अब्दुल रहमान खां के नाम स्वीकृत हुआ तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त तीनों व्यक्ति बतौर खातेदार काश्तकार सम्वत् 2067–2070 दर्ज कर लिये गये तथा तीनों ने उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करना आरम्भ कर दिया। इसी दौरान वादीगण के भाई अब्दुल रहमान खां की मृत्यु हो गई। आराजी खसरा नंबर में वादीगण का हिस्सा 1/3–1/3 है तथा वादीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड लगान आदि जमा कराते चले आ रहे है तथा शान्तिपूर्वक अपनी उक्त आराजी खसरा नंबरान् को काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण पर किसी भी प्रकार का कोई लगान बकाया नहीं है, न ही कुर्की आदि की कार्यवाही विचाराधीन है। उपरोक्त खसरा नंबर के वादीगण निर्विवाद रूप से मालिक स्वामी खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण की उक्त आराजी खसरा नंबरान् पर पिछले कुछ समय से आसपास के लोगों ने कब्जा करने की नीयत से बार–बार वादीगण की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा वादीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर पर मकान निर्माण सामग्री डालकर वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि को अनुपजाउ कर उसं बंजर बनाने में जुटे हुये है। प्रतिवादीगण भी भू माफिया गिरोह के सदस्य है, जो सरकारी भूमि जो खाली पडी है या अन्य खातेदार काश्तकार की भूमि जो धनबल में प्रतिवादीगण से कमजोर है, को डरा धमकाकर उन पर कब्जा कर लेते है तथा बाद में विभिन्न तरह के मुकदमों में फंसाने का भय दिखाकर उनसे जमीन हडप लेते है तथा प्रतिवादीगण सभी मिल जुलकर वर्तमान समय में वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की नीयत से उस पर निर्माण सामग्री डालने लग गये तथा खसरा नंबर 2476/4587 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 2494/4588 रकबा 0.02 हैक्टेयर दोनों खसरा नंबर पास पास है तथा वादीगण के खातेदारी की काश्त के है, उन पर प्रतिवादीगण ने मिलकर दिनांक 05.11.2014 को पत्थर तथा रोडियां डाल दी। जब वादीगण को प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य का पता चला तो वे मौके पर गये, जहां पर प्रतिवादीगण ने वादीगण की काश्त को खराब कर वादीगण की उपजाउ व चाही भूमि को बंजर बनाने की नीयत पर उस पर काफी पत्थर रोडी तथा बजरी आदि डालकर फसल को नष्ट किया तथा वादीगण के उक्त खसरा नंबर पर कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण करने पर आमादा हो गये। वादीगण ने प्रतिवादीगण को ऐसा कार्य करने हेतु मना किया तथा अपनी भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज जमाबंदी, नामान्तकरण आदि दिखाये, तब तो प्रतिवादीगण, वादीगण की बात मान गये और कहा कि हम जा रहे हैं, आपकी भूमि पर निर्माण नहीं करेंगे और वहां चले गये। इसके पश्चात् वादीगण भी अपने निवास स्थान पर वापस आ गये। वाद कारण दिनांक 05.11.2014 व 28.11.2014 को तब उत्पन्न हुआ, जब

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की कृषि भूमि पर अवैध रूप से पत्थर रोडी व निर्माण सामग्री डालकर अवैध निर्माण प्रारम्भ कर दिया तथा वादीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा पहुँचाई तथा उनकी फसल को नुकसान पहुँचाया, जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नंबर 2476/4587 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 2494/4588 रकबा 0.2 हैक्टेयर, जो ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में प्रतिवादीगण द्वारा किये जो रहे अवैध निर्माण को शीघ्र रोकें तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की फसलों को क्षति पहुँचाने से रोका जावे। वादीगण के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, न ही इस तरह का कृत्य प्रतिवादीगण, उनके परिवारजन, सर्वेण्ट, एजेंट आदि द्वारा नहीं करने बाबत् जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें। वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नंबरान् पर हो रही अवैध गतिविधियों व निर्माण को तुरन्त प्रभाव से रोकने तथा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध निर्माण को यथाशीघ्र हटवाकर वादीगण के हितों की रक्षा के लिये प्रतिवादी संख्या 7 को निर्देश दिये जाने की कृपा करें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी खतौनी संवत 2067–2070, जमाबंदी संवत् 2063–2066, जमाबंदी संवत् 2051–2054, जमाबंदी संवत् 2067 से 2070, जमाबंदी संवत् 2067–2070, मृत्यु प्रमाण प्रत्र दिनांक 25.12.12 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब दावा पेश किया। जवाब दावे में अंकित है कि :–

वाकै ग्राम खोनागोरियान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गौनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर कुल किता 7 कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर में से खसरा नंबर 2476/4587, 2494/4588 के अलावा अन्य नंबरान् से मिल उत्तरदाता का कोई संबंध व सरोकार नही हैं। जिनके मूल नंबर 2476 व 2494 अल्लानूर खां प्रतिवादी संख्या 1 के पिता इमाम खां के कब्जे काश्त की व साधिकार भूमि चली आ रही हैं। बट्टा नंबर से पूर्व मिन उत्तरदातागण आज दिनांक तक काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। खसरा नंबर 2476/4587, 2494/4588 के पूर्व खसरा नंबर 2476, 2494 मिन उत्तरदातागण के नाम व कब्जे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से कब्जे में चली आ रही है। मिन उत्तरदाता के खातेदारी भूमि खसर नंबर 2470 लगायत 2474, 2476, 2477, 2493 लगायत 2505, 3174 कुल किता 21 कुल रकबा 3.83 हैक्टेयर यानी 294 बिस्वा यानी 15 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। जिसके

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर, द्वितीय

Scanned by CamScanner

चारों और पक्की बाउण्ड्रीवाल से महदूद है एवं मकानात बनाकर विद्युत कनेक्शन लगे हुए है। बट्टा नंबर वादीगण के नाम कब व कैसे अंकित हुए जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मिन उत्तरदातागण की भूमिया अर्से दराज 15 वर्ष पूर्व ही डण्डे से महदूद रही हैं, एवं मकानात भी वर्ष 2007 से बने हुये है और विद्युत कनेक्शन प्रतिवादी संख्या 4 हनिस के नाम से वर्ष 2007 से चला आ रहा हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना की हाल में कोई पक्का निर्माण किया हो मिथ्या दर्ज किया है। वादी के कथनानुसार स्पष्ट है कि मिन प्रतिवादी का कब्जा वादीगण स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण इस्तदुआ कब्जा निषेधाज्ञा का वाद नाकाबले पेश रफ्त है। विवादित खसरा नंबर पर प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से आज दिनांक तक बदस्तुर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। मिन प्रतिवादीगण का कोई नया निर्माण अथवा वादीगण के हकूक भूमि में दखलन्दाजी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। जवाब कि अतिरक्ति प्रतिवाद में अंकित है कि वादीगण ने यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन एन्ग्रीडयेन्स फ़ाइमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को किसी भी प्रकार से साबित नही कर सका है। ऐसी अवस्था में वाद वादी नाकाबले पेश रफ्त हैं। खसरा नंबर 2476/4587 व 2494/4588 का मूल खसरा नंबर 2476 रकबा 0.90 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2494 रकबा 0.94 हैक्टेयर मिन उत्तरदातागण के कब्जे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से आज दिनांक तक बदस्तुतर कब्जे व काश्त में चला आ रहा है। जिसे वादीगण अपने वाद में स्वीकार करते है ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञा का वाद बिना कब्जा नाकाबले पेश रफ्त हैं, और वाद वादीगण काबिले खारिज योग्य है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे खास खारिज फरमया जावें।

विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद मे तनकीयात कायम की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र मुंशी खां पुत्र श्री जुम्मरदीन खां व मोहम्मद शहजाद पुत्र हफीज खा पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है।

वादपत्र पर बहस वकील वादी सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2067–70, 2063–66, 2051–2054, 2067–70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता झुमरूद्दीन पुत्र इनायत खां के नाम दर्ज रही है। तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र से स्पष्ट है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त है। उपरोक्त विवेचनो के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। ऐसे में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 2476/4587 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 2494/4588 रकबा 0.2 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, पटवार हल्का खोनागोरियान, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, न ही इस तरह का कृत्य ऑफिस एजेंट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावें, वादीगण की भूमि में निर्माण कार्य नही करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.12.13 12:29:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: